



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

दुसरी मंजील, जी.एस.आई. फिल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय कॉम्पेक्स,
पोस्ट- विधानसभा, रायपुर (छ.ग.) पिन-492005, फोन नं.-0771-2282530,2285590 / 95
ईमेल-ro.raipur.ibm@gmail.com



No. CHG/DRG/Fe-6/NGP

MINE CODE: 30MPR13004

Date: 10-10-2017

सेवा में,

श्री एन. के. मण्डल, एजेन्ट माइन्स,
महामाया लौह अयस्क खदान, (1522.67 हे०)
सर्वश्री स्टील अर्थोरिटे ऑफ इंडिया,
पो.-महामाया, जिला- बलौद, पिन-491228

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के जिले में स्थित आपकी महामाया लौह अयस्क खदान, (1522.67 हे०) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी खान का निरीक्षण दिनांक 08.09.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 26	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines before 1st day of July every year setting forth of Protective & rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2016-17.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2016-17.
Rule 35 (2)	The softcopy (in the standard format), of high resolution satellite images obtained from CARTOSAT-2 Satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map has not been submitted.
Rule 47	Notice of Shaft sinking and boreholes (an intimation in Form-I) has not been submitted.

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत

(क) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर. एन. मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 1 खान नियंत्रक, (मध्यांचल) भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(आर.एन.मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर।